

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 387 / 2017 / दौसा
2. अपील संख्या 388 / 2017 / दौसा

मैसर्स दयाल एजेन्सी, महवा दौसा।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, दौसा।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,



उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें व्यवहारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26 एवं 55 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।
2. दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावें।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी फर्म का वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.11.2011/13.08.2012 को किया जाकर व्यवहारी द्वारा माल कन्फैक्शनरी पर देय वेट 4/5 प्रतिशत दर से वसूल कर राजकोष में जमा करवाया जा रहा था। व्यवहारी पर सामान्य कर दर आरोपित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार की, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारियों द्वारा अन्तर कर व ब्याज के बिन्दुओं पर यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।
4. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।
5. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा किया गया उत्पाद वैट अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 के तहत आता है तथा उसी के अनुसार व्यवहारियों ने कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.06.2006 द्वारा अनुसूची चतुर्थ में नई प्रविष्टि संख्या 163 जोड़ी गई तदनुसूची 'Sugar candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार बिक्रीत उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तदनुसार 4/5 प्रतिशत कर संग्रहित करके जमा कराया गया। अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar candies made of sugar and glucose and containing flavours, cream and colors को स्पष्टतः पृथक नहीं किया है।

लगातार.....2

अपने तर्कों के समर्थन में इनके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये

1. [Supreme Court of India] Frick India Limited Vs State of Haryana May 13, 1994.
2. [In The Supreme Court of India] (2009) VST 249 (SC) Sree Krishna Electricals Vs State of Tamil Nadu April 21, 2009
3. [Supreme Court of India] J.K. Synthetics Ltd. Vs Comm. Taxes Officer (C.A. Nos. 3414 to 3416 of 1982) Birla Cement Works Vs State of Rajasthan May 9, 1994.
4. [2012] 51 VST 130(Mad) [In The High Court] Cadbury India Limited Vs Assisstant Commissioner (CT), Chennai July, 2009
5. [In The High Court of Karnataka At Bangalore] Kundanamal Ganeshmal And Borthers Vs State of Karnataka February 12, 1993.
6. [2012] 48 VST 107 (AP) [In The Andhra Pradesh High Court] Banyan Enterprises Vs Commercial Tax Officer August 24, 2011.
7. [2017] 98 VST 172 (Bom.) [In The Bombay High Court] Zamil Steel Buildings India Pvt. Ltd. Vs State of Maharashtra December 23, 2016
8. [In The High Court of Rajasthan At Jodhpur] Black Stone Rubber Industries Pvt. Ltd. Vs State of Rajasthan February 19, 2001.
9. [2011] 39 VST 184(All) [In The Allahabad High Court] Kesar Enterprises Ltd. Vs State of U.P. August 27, 2010/
10. [2011] 43 VST 222(All) [In The Allahabad High Court] Dabur India Limited Vs State of U.P. December 6, 2010/
11. [In The Allahabad High Court] Harbans Lal Malhotra Vs Assistant Commissioner Ghaziabad July 28, 1994
12. [In The High Court of Kerala At Ernakulam] New Prasanthi Automobiles Co. Vs State of Kerala September 26, 1992.
13. Reportes of Sales Tax Cases Vol. 146 2006 [High Court of Madhya Pradesh] Commissioner of Commercial Tax, Indore Vs Modern Agency October 25, 2004.
14. [In The High court of Rajasthan] Jaipur Bench Cycle Hatt of Jaipur Vs The Board of Revenue May, 13, 1977.
15. [2007] 5 VST 197 (All) [In The Allahabad High Court] Carbon Crafts Pvt. Ltd. Vs state of U.P. December 13, 2005.
16. In The High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur Commercial Taxes Officer Vs Ms Heera Lal Murlidhar Bikaner Date July 2, 1992.

अतः उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 से अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 जोड़ी गई थी जो निम्न प्रकार से थी :-

"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pastries, confectionery excluding chocolates "

दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से Confectionery के पूर्व में unbranded जोड़ा गया। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी स्वतः ही प्रविष्टि संख्या 154 से बाहर हो गई एवं अनुसूची पंचम के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य हो गई। उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री आरोपित सामान्य कर दर एवं आरोपित ब्याज की पुष्टि की है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया आच्छादित होने से उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा माल राज्य के भीतर बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी है या नहीं तथा इस पर कर दर क्या होगी ? इस बिन्दु पर हाल ही में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1611/2011/सिरोही सीटीओ बनाम अरिहन्त एन्टरप्राइजेज व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2017 इस प्रकरण पर पूर्णतया आच्छादित होने के कारण इस प्रकरण पर प्रभावी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने भी समान तथ्यों पर विवादित कन्फेक्शनरी पर एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा०लि०, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017 में दिये गये निर्णायक निर्णय के पैरा संख्या 17 एवं 19 में सुस्थापित किया है कि :-


"17. Taking into consideration the judgment of this court in the case of M/s. Heera Lal Murlidhar (supra), where this court has taken into consideration the meaning of "confectionery" from various dictionaries, as reproduced hereinbefore, it would show that the AO had taken into consideration that the products manufactured by the assessee are produced on account of constant mixing and blending with various ingredients, and these are hardened sweet confectionery which are prepared by mixing various ingredients. Applying the test as laid down by this court in the case of M/s Heera Lal Murlidhar (supra), a sugar candy or Meethi Goli which was considered by this court contains purely lumps of sugar and nothing more, whereas in the instant case it is merely not sugar but many more ingredients are added to it. These are essentially toffees or other products and cannot fall purely as a Sugar Candy containing majority of sugar." तथा पैरा 19


"19. In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unison is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल/समान प्रकृति के माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री के सम्बन्ध में ही है, हस्तगत प्रकरणों में पूर्णतः लागू होने से अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों के तथ्य हस्तगत प्रकरणों से भिन्न हैं अतः ससम्मान लागू नहीं कर पाते हैं।

8. परिणामस्वरूप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


22.5.2017
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष